


अवकाश पत्र  
13/6/2024 को पेश की गई थी

13/6/2024

प्रा. वि. वि. वि.  
विभला  
विभला

पत्रावली पेश की वकील वादी उपस्थित। वकील  
वादी ने विद्वाने प्रा. वि. वि. वि. वादी को विद्वाने  
जाने का निवेदन किया। जिसमें पत्रावली का  
अवलोकन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात्  
वादी का वाद विद्वाने प्रा. वि. वि. वि. के आधार पर  
अकारण किया जाता है। पत्रावली केंद्र  
अकारण होने पर नम्बर 1 सम हों। आदेश  
केल न्यायालय में सुनाया गया।

मि



Signature

उपखण्ड अधिकारी  
साँभर लेख

